कार्यालय उप संचालक मत्स्योद्योग
सिवनी

सूचना का अधिकार – 2005
विभागीय मार्गदर्शी पुस्तिका

अध्याय 1
प्रस्तावना

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मत्स्योद्योग विभाग में सफल क्रियान्वयन हेतु इस पुस्तिका को तैयार किया गया है, जिससे जनता के प्रति जबावदेही, उत्तरदायित्व तथा क्रियाकलाप में पारदर्शिता लाई जा सके । इसमें संदेह नहीं कि यर्थाथपालन, लोक तांत्रिक शासन, प्रशासन की मूल भावनाओं को पुष्ट करेगा तथा राज्य/राष्ट्र के विकास करने में सहायक होगा ।

इस पुस्तिका से जनता को विभाग की किसी भी प्रकार की सूचना (अधिनियम की धारा–8 उपबंधों के अलावा) लेने में सहायता मिलेगी । इसमें विभाग का संरचनात्मक ढांचा, विभाग के कार्य तथा दायित्व, अधिकारी एवं कर्मचारी को प्रदत्त शक्तियां एवं उनके कर्तव्य, कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख का उल्लेख, नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाई गई व्यवस्था का विवरण, लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियत्रंण में उपलब्ध दस्तावेजों का वर्गीकरण, लोक सूचना अधिकारी /सहायक लोक सूचना अधिकारी के नाम निर्णय लेने की प्रक्रिया उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का वर्गीकरण निर्देशिका, अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्राप्त वेतन आदि योजनाओं में बजट एवं व्यय की जानकारी, कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक /नियम –इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनाएं, नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण तथा अन्य जानकारियों का यथा संभव समावेश किया गया है ।

सूचना के अधिकारी–2005 से संबंधित जानकारी विभाग के जिला कार्यालयों से भी प्राप्त हो सकेगी ।

विभिन्न योजनाओं में लाभांवित हितग्राहियों की विकासखंडवार जानकारी जिला कार्यालय में रखी जावेगी । जिससे जिलों में नामित लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त कर सकते है ।

हमें विश्वास है कि यह पुस्तिका आम जनता के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विभाग से संबंधित सभी प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शी रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ

(ओ0पी0सक्सेना)
उप संचालक मत्स्योद्योग
सिवनी

अध्याय – 1
प्रस्तावना

विभाग की पृष्ठभूमि

(1) मत्स्य विभाग का स्वरूप कार्य एवं दायित्व :

राज्य में मत्स्योद्योग विभाग का संगठन 30 मई 1964 से पृथक तकनीकी विभागध्यक्ष (संचालक मत्स्योद्योग, म.प्र.) की नियुक्ति के साथ हुआ था ।

इसके पूर्व अर्थात 1 नवम्बर 1956 से नवगठित मध्यप्रदेश में भूतपूर्व भोपाल, मध्यभारत, विंध्यप्रदेश तथा महाकौशल राज्यों से सम्मिमिल मत्स्योद्योग अधिकारी संचालनालय पशु चिकित्सा तथा पशुपालन में स्थापित मत्स्योद्योग शाखा के अन्तर्गत कार्य करते थो तथा इस शाखा के तकनीकी एवं प्रशासनिक अधिकारी, मत्स्योद्योग विकास अधिकारी, मध्यप्रदेश थे जिनका पदाधिनाम 1961 से परिवर्तित होकर मुख्य मत्स्योद्योग अधिकारी हो गया था ।

प्रशासकीय सुविधा एवं उपलब्ध वित्तीय साधनों पर आधारित प्रदेश के जल संसाधनों के समुचित विकास के दृष्टिकोण के समय समय पर विभिन्न स्थानों पर संभाग जिला एवं खंड स्तरीय कार्यालयों की स्थापना की गई जिससे प्रत्येक स्तर पर मत्स्योद्योग का समुचित विकास संभव हो सके ।

(2) विभाग के अंतर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम /संस्थाओं का विवरण

मछली पालन विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ सहकारी (मर्यादित) भोपाल (पंजीयन क्रमांक भोपाल/मुख्यालय /195 दिनांक 05.05.87) कार्यरत है । यह संस्था प्राथमिक मत्स्य सहकारी संस्थाओं की शीर्ष संस्था है जो मतसय सहकारी संस्थाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए उत्तरदायी है । मत्स्य महासंघ की अधिकृत पूंजी रूपये 5 करोड़ है ।

पुस्तिका में प्रयोग की गई शब्दावली की परिभाषा

(क) निजी जानकारी से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति के बारे में अभिलिखित जानकारी
(ख) लोक निकाय से अभिप्रेत है –

(एक) राज्य सरकार के समस्तर कार्यालय,
(दो) राज्य विधानसभा के किसी एसे अधिनियम के, जो तत्समय प्रवृत्त हो, अधीन गठित समस्त स्थानीय प्राधिकारी तथा कानूनी प्राधिकार और ऐसी समस्त कंपनी, निगम तथा सहकारी समिति जिनमें इक्यावन प्रतिशत से अन्यून समादत्त शेयर पूंजी राज्य सरकार द्वारा धारित है ।
किन्तु उसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आते हैं –

(एक) मध्यप्रदेश में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय
(दो) मध्यप्रदेश राज्य में स्थित सशस्त्र बल या केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों (पैरा मिलिटरी फोर्स) की कोई स्थापना
(तीन) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व के निगम
(चार) धार्मिक संगठन,

(पांच) मध्यप्रदेश विधानसभा

(छह) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय तथा अधिकरणों को सम्मिलित करते हुए अन्य न्यायालय और अन्य संगठन जिन्हें न्यायालय की प्रास्थिति प्राप्त है तथा जिनकी कार्यवाहियाँ न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाती है ।

(सात) मध्यप्रदेश के राज्यपाल का सचिवालय

(आठ) लोक आयुक्त कार्यालय

(ग) लोक निकाय का प्रमुख से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो किसी लोक निकाय के कामकाज का मुख्य कार्यपालक या प्रभारी व्यक्ति है

(घ) पदाभिहित अधिकारी से अभिप्रेत है या इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु किसी लोक निकाय के प्रमुख द्वारा नियुक्त अधिकारी

(ड.) अभिलेख से अभिप्रेत है –

(एक) कोई दस्तावेज , पाण्डुलिपि और फाइल

(दो) कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिक और किसी दस्तावेज की फेसीमाइल प्रति.

(तीन) ऐसी माइक्रोफिल्म, सन्निविष्ट प्रतिबिंब का कोई प्रत्युत्पादन (चाहे वृहत हो या न हो) और

(चार) किसी कम्प्युटर या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री.

हस्तपुस्तिका में समायोजित विषयों के संबंध में विस्तृत जानकारी तथा अन्य जानकारियों के लिए श्री ओ0पी0सक्सेना उप संचालक मत्स्योद्योग मत्स्योद्योग, सिवनी से प्राप्त की जा सकती है ।

अध्याय 2 (मैनुअल–1)

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

विभाग के कर्तव्य एवं दायित्व

जिले में मत्स्योद्योग विकास के कार्यक्रम /योजनाओं के क्रियान्वयन मत्स्य पालन में उपयोगी निविष्टियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने मत्स्योत्पादन बढाने के विभिन्न उपायों, मछुआरों एवं मत्स्य पालन की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने एवं मत्स्य संपादा के संरक्षण हेतु दायित्व निर्धारित किए गए है जो कि निम्नानुसार है –

1– मछली पकड़ने के लिए सभी नदियों जलाशयों तालाबों का विकास
2– मत्स्यबीज प्रक्षेत्रों, फिश सीड फार्म की स्थापना तथा प्रबंधन
3– मत्स्य पालन जिनमें मछलियों का संरक्षण, परीक्षण तथा संवर्धन शामिल हो
4– मछली के संवर्धन विस्तर तथा विकास के लिए शोध ।
5– मछली पकड़ने की पद्धति का विकास तथा विनियमन
6– मत्स्य विपणन तथा विदोहन
7– अन्य खाद्य जल प्राणियों का संरक्षण, परीक्षण तथा संवर्धन ।
8– ऐसी योजनाओं से सम्बद्ध अन्य विषय ।

लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन

1 मत्स्य कृषकों को उन्नत किस्म का मत्स्यबीज उपलब्ध कराया जाना ।

2 उन्नत मत्स्य पालन तकनीकी ग्रामीण स्तर तक फैलाने/प्रचार–प्रसार क्रियान्वयन हेतु विभागीय अधिकारी/कर्मचारी मैदानी क्षेत्र पर जाकर तकनीकी मार्गदर्शन देना ।

2 मत्स्य विकास के विभिन्न कार्यों हेतु विभिन्न वर्ग के हितग्राहियों को व्यावसायिक बैंकों से ऋण उपलब्ध कराना तथा अनुदान दिया जाना ।

3 मछुआ कल्याण हेतु राष्ट्रीय कल्याणकारी योजनाएं यथा–समूह बीमा, मछुआ आवास इत्यादि संचालित की गई है । बचत सह राहत राष्ट्रीय योजना वर्ष 2002–03 का प्रसार एवं क्रियान्वयन ।

4 2000 हैक्टेयर औसत जलक्षेत्र तक के तालाब/जलाशय के मत्स्य विकास के अधिकार पंचायत राज संस्थाओं को अंतरित कर विभिन्न योजनाओं हेतु हितग्राही चयन, प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता इत्यादि कार्य पंचायत के माध्यम से संचालित कराया जाना।

5 मत्स्य कृषक विकास अभिकरण ग्रामीण के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को ग्रामीण तालाब 10 वर्षीय पट्टे पर देकर मछली पालन के साधन उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति हेतु कार्य करना तथा मत्स्योत्पादकता में वृद्धि करना ।

6 विभाग योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में पारदर्शिता लाना ।

लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य

(1) जिले में उपलब्ध समस्त जल संसाधन को मत्स्यपालन के अंतर्गत लाना

(2) जलाशयों, ग्रामीण पोखरों एवं अन्य जलक्षेत्रों में आधुनिक तकनीक के उपयोग से मत्स्योत्पादकता की वृद्धि करना ।

(3) मत्स्य पालन के व्यवसाय को बढ़ावा देते हुए रोजगार के अवसर उपलबध कराना ।

(4) गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों को मत्स्य पालन के माध्यम से आर्थिक रूप से सक्षम बनाना ।

(5) मत्स्य सहकारी समिति का गठन कराना एवं उनके सुदृढ़ीकरण का कार्य करना

(6) अनुसंधान एवं मत्स्य पालकों को आने वाली समस्याओं का निराकरण करना।

(7) मत्स्य कृषकों का प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना ।

(8) राज्य शासन /केन्द्र शासन द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा एवं अनुश्रवण करना ।

लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों (शासन, निदेशालय, क्षेत्र, जिलों पर संगठनात्मक ढांचा)

लोक प्राधिकरण की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएं

जनभागीदारी के माध्यम से मत्स्य विकास कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने हेतु मत्स्योद्योग विकास कार्य में संलग्न मछुआरों/मत्स्य कृषकों का सक्रिय सहयोग एवं बिचौलियों से सहकारी समिति मत्स्य पालकों को मुक्त कराने हेतु अपेक्षा हैं । इस क्रम में मत्स्य व्यवसाय से जुड़े मछुआरे/मत्स्य पालक मत्स्य पालन योजनाओं के सुचारू संचालन में आने वाली कठिनाइयों के संबंध में बिचौलियों का सहारा न लेते हुए सीधे विभागीय मैदानी अमले से सम्पर्क करे, ताकि नियमानुसार उन्हें तकनीकी मार्गदर्शन दियाा जाकर उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके ।

म.प्र. मत्स्योद्योग अधिनियम 1948 तथा संधोधन वर्ष 1981 में प्रदेश मत्स्य संपदा के संरक्षण हेतु विभिन्न नियम बनाए गए हैं । इसी तरह म.प्र. नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 तथा म.प्र. मछुआ सहकारी समितियां (उधार एवं सहायकी) नियम 1972 प्रावधानित है जिसके परिपालन में जनभागीदारी अपेक्षित है ।

जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था हेतु विभाग में सिटीजन चार्टर लागू है ।

साप्ताहिक अवकाश रविवार सहित शासन द्वारा घोषित अवकाश के दिनों को छोड़कर अन्य सभी दिनों में –

कार्यालय के खुलने का समय : प्रातः 10:30

कार्यालय के बन्द होने का समय : सायं 5:30

मुख्य कार्यालय तथा अधिनस्थ कार्यालयों के पते निम्न है –

स्तर	सहायक लोक सूचना अधिकारी	
जिला	कार्यालय उप संचालक मत्स्योद्योग सिवनी	अकबर वार्ड सिवनी ज्यारत नाका सिवनी
विकासखण्ड		
सिवनी	श्री एस0के0बक्शी मत्स्य निरीक्षक	––,,––
केवलारी	श्री एस0के0बक्शी मत्स्य निरीक्षक अतिरिक्त प्रभार	––,,––
बरघाट	श्री एस0के0द्विवेदी मत्स्य निरीक्षक	विकासखण्ड कार्या.
कुरई	श्री डी0के0शुक्ला मत्स्य निरीक्षक	विकासखण्ड कार्या.कुरई
छपारा	श्री सी0एस0ठाकुर मत्स्य निरीक्षक	विकासखण्ड कार्या लखनादौन
धनौरा	श्री सी0एस0ठाकुर मत्स्य निरीक्षक अतिरिक्त प्रभार	–––,,–––
लखनादौन	श्री आर0के0राय मत्स्य निरीक्षक	म0बी0प्रक्षेत्र लखनादौन
घंसौर	श्री आर0के0राय मत्स्य निरीक्षक अतिरिक्त प्रभार	–––,,–––

अध्याय 3 (मैनुअल–2)

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

विभाग के कर्तव्य एवं दायित्व –

प्रदेश में मत्स्योद्योग विकास के कार्यक्रम / योजनाओं के क्रियान्वयन, मत्स्य पालन में उपयोगी निविष्टियों की उपलब्ध सुनिश्चित करने मत्स्योत्पादन बढाने के विभिन्न उपायों, मछुआरों एवं मत्स्य पालकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने एवं मत्स्य सम्पदा के संरक्षण हेतु दायित्व निर्धारित किए गए हैं जो कि निम्नानुसार है :–

1– मछली पकड़ने के लिये सभी नदियों जलाशयों तथा तालाबों का विकास
2– मत्स्यबीज प्रक्षेत्रों, फिश सीड फार्म की स्थापना तथा प्रबंधन ।
3– मत्स्य पालन जिसमें मछलियों का संरक्षण, परीक्षण तथा संवर्धन शामिल हो
4– मछली के संवर्धन विस्तार तथा विकास के लिए शोध ।
5– मछली पकड़ने की पद्धति का विकास तथा विनियमन ।
6– मत्स्य विपणन तथा विदोहन ।
7– अन्य खाद्य जल प्राणियों का संरक्षण, परीक्षण तथा संवर्धन ।
8– ऐसी योजनाओं से सम्बद्ध अन्य विषय ।

(2) अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अधिकार एवं दायित्व –

प्रशासनिक नियंत्रण, विभागीय कार्यक्रमों /योजनाओं के क्रियान्वयन, लक्ष्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार एवं दायित्व निम्नानुसार है :–

उप संचालक मत्स्योद्योग (जिला अधिकारी)के कार्य एवं उत्तरदायित्व

1– राज्य शासन के द्वारा कार्यान्वित विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के संचालन के लिये उत्तरदायी रहेगा । जिले में अन्य विभाग के सहयोग से मछली पालन की योजनाओं को कार्यान्वित करना ।
2– मछली पालन की योजनाओं के लिए सर्वेक्षण करना, कार्ययोजना बनाना तथा उसके लिए प्रशासकीय स्वीकृति तथा वित्तीय आवंटन जुटाना ताकि मछली पालन का समग्र विकास संभव हो सके ।
3– जिले में चल रही विभागीय योजनाओं का मूल्यांकन करना तथा उनके संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करना । जिले के लिये क्षेत्र विशेष (area specific) योजनाएं बनाना ।
4– जिले में मत्स्योद्योग संस्थानों जैसे पोखर, तालाब, जलाशय, नदियों तथा नाले के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी रखना एवं इसको पंजीबद्ध करना ।
5– जिले की मत्स्यबीज की आवश्यकता का आंकलन करना एवं उसकी स्थानीय तौर पर पूर्ति हेतु उत्पादन, संवर्धन एवं वितरण की कारगर व्यवस्था करना जिससे समस्त जल संसाधनों में मछली पालन का सतत विकास हो सके ।

सहायक मत्स्य अधिकारी के कार्य एवं उत्तरदायित्व

1. अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत शासकीय तथा निजी क्षेत्र में मत्स्य विकास के लिये पूर्ण उत्तरदायी ।
2. जिला अधिकारी मत्स्योद्योग के सीधे नियंत्रण में कार्य करेगा ।
3. वह अपने कार्यक्षेत्र में स्थित तालाबों, जलाशयों, नदियों से सत्त मत्स्योत्पादन समयबद्ध कार्यक्रम बनायेगा और तदनुसार कार्य करेगा ।
4. शासकीय एवं निजी क्षेत्र में मत्स्यबीज उत्पादन, संवर्धन एवं वितरण की योजना बनाकर नियंत्रण अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही करेगा ।
5. उसके क्षेत्र में गठित मत्स्य सहकारी संस्थाओं को जलक्षेत्र आधारित कार्यक्षेत्र निर्धारित कर उन्हें समुचित कार्य उपलब्ध करायेगा ।
6. राज्य शासन द्वारा मछली पालन विभाग द्वारा बनाये गए नीति तथा निर्देशों की जानकारी क्षेत्र के मछुआरों/मत्स्यपालकों तथा निजी उत्पादकों को पहुंचायेगा ।
7. वह अपने कार्यक्षेत्र के समस्त जल संसाधनों का सवेक्षण करेगा एवं उनका निरीक्षण समय समय पर करेगा तथा कोई भी जलक्षेत्र मछली पालन से वंचित न रह जाये इसे सुनिश्चित करेगा ।

मत्स्य निरीक्षक के कार्य एवं उत्तरदायित्व

1. अपने वरिष्ठ अधिकारी के सीधे नियंत्रण में रहेगा एवं अपने कर्त्तव्यों के सम्पादन के लिये पूर्णतः उत्तरदायी होगा । उसके कार्यक्षेत्र में ही उपस्थित रहकर उपलब्ध जल संसाधनों के सत्त विकास तथा विभागीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी होगा । वह उसके अधीन दिये गये मत्स्य जमादार, चौकीदार पर प्रशासनिक एंव तकनीकी नियंत्रण रखेगा ।
2. क्षेत्र के उपलब्ध समस्त जलसंसाधनों का सर्वेक्षण करेगा उन्हें पंजीबद्ध करेगा एवं उनके विकास के प्रस्ताव अपने वरिष्ठ अधिकारी को देगा ।
3. अपने क्षेत्र के मछली पालन से संबंधित मछुआरों, मत्स्य पालकों की सूची बनायेगा एवं समय–समय पर अद्यतन करेगा तथा उन्हें नवीन तकनीकों एवं प्रोद्योगिकियों की आधुनिक जानकारी देगा उनकों विभिन्न प्रशिक्षणों में भाग लेने हेतु नांमांकित करावेगा
4. अपने क्षेत्र में मछलीबीज उत्पादन, मत्स्योत्पादन संबंधी तकनीकी सलाह देगा तथा मछली पालन को लोकप्रिय एवं जनोपयोगी बनाने के लिये लोगों को प्रेरित करेगा ।
5. ग्राम सभा/जन पंचायतों के अधीन तालाबों को पट्टे पर उठाने हेतु विभागीय नियमानुसार सलाह देगा ।

विभाग के कर्तव्य एवं दायित्व –

प्रदेश में मत्स्योद्योग विकास के कार्यक्रम / योजनाओं के क्रियान्वयन, मत्स्य पालन में उपयोगी निविष्टियों की उपलब्ध सुनिश्चित करने मत्स्योत्पादन बढाने के विभिन्न उपायों, मछुआरों एवं मत्स्य पालकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने एवं मत्स्य सम्पदा के संरक्षण हेतु दायित्व निर्धारित किए गए हैं जो कि निम्नानुसार है :–

1– मछली पकड़ने के लिये सभी नदियों जलाशयों तथा तालाबों का विकास
2– मत्स्यबीज प्रक्षेत्रों, फिश सीड फार्म की स्थापना तथा प्रबंधन ।
3– मत्स्य पालन जिसमें मछलियों का संरक्षण, परीक्षण तथा संवर्धन शामिल हो
4– मछली के संवर्धन विस्तार तथा विकास के लिए शोध ।
5– मछली पकड़ने की पद्धति का विकास तथा विनियमन ।
6– मत्स्य विपणन तथा विदोहन ।
7– अन्य खाद्य जल प्राणियों का संरक्षण, परीक्षण तथा संवर्धन ।
8– ऐसी योजनाओं से सम्बद्ध अन्य विषय ।

(2) अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अधिकार एवं दायित्व –

प्रशासनिक नियंत्रण, विभागीय कार्यक्रमों /योजनाओं के क्रियान्वयन, लक्ष्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार एवं दायित्व निम्नानुसार है :—

उप संचालक मत्स्योद्योग (जिला अधिकारी)के कार्य एवं उत्तरदायित्व

1— राज्य शासन के द्वारा कार्यान्वित विभिन्न विकास एवं कल्याण्कारी योजनाओं के संचालन के लिये उत्तरदायी रहेगा । जिले में अन्य विभाग के सहयोग से मछली पालन की योजनाओं को कार्यान्वित करना ।

2— मछली पालन की योजनाओं के लिए सर्वेक्षण करना, कार्ययोजना बनाना तथा उसके लिए प्रशासकीय स्वीकृति तथा वित्तीय आवंटन जुटाना ताकि मछली पालन का समग्र विकास संभव हो सके ।

3— जिले में चल रही विभागीय योजनाओं का मूल्यांकन करना तथा उनके संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करना । जिले के लिये क्षेत्र विशेष (area specific) योजनाएं बनाना ।

4— जिले में मत्स्योद्योग संस्थानों जैसे पोखर, तालाब, जलाशय, नदियों तथा नाले के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी रखना एवं इसको पंजीबद्ध करना ।

5— जिले की मत्स्यबीज की आवश्यकता का आंकलन करना एवं उसकी स्थानीय तौर पर पूर्ति हेतु उत्पादन, संवर्धन एवं वितरण की कारगर व्यवस्था करना जिससे समस्त जल संसाधनों में मछली पालन का सतत विकास हो सके ।

सहायक मत्स्य अधिकारी के कार्य एवं उत्तरदायित्व

1. अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत शासकीय तथा निजी क्षेत्र में मत्स्य विकास के लिये पूर्ण उत्तरदायी ।
2. जिला अधिकारी मत्स्योद्योग के सीधे नियंत्रण में कार्य करेगा ।
3. वह अपने कार्यक्षेत्र में स्थित तालाबों, जलाशयों, नदियों से सत्त मत्स्योत्पादन समयबद्ध कार्यक्रम बनायेगा और तदनुसार कार्य करेगा ।
4. शासकीय एवं निजी क्षेत्र में मत्स्यबीज उत्पादन, संवर्धन एवं वितरण की योजना बनाकर नियंत्रण अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही करेगा ।
5. उसके क्षेत्र में गठित मत्स्य सहकारी संस्थाओं को जलक्षेत्र आधारित कार्यक्षेत्र निर्धारित कर उन्हें समुचित कार्य उपलब्ध करायेगा ।
6. राज्य शासन द्वारा मछली पालन विभाग द्वारा बनाये गए नीति तथा निर्देशों की जानकारी क्षेत्र के मछुआरों/मत्स्यपालकों तथा निजी उत्पादकों को पहुंचायेगा ।
7. वह अपने कार्यक्षेत्र के समस्त जल संसाधनों का सवेक्षण करेगा एवं उनका निरीक्षण समय समय पर करेगा तथा कोई भी जलक्षेत्र मछली पालन से वंचित न रह जाये इसे सुनिश्चित करेगा ।

मत्स्य निरीक्षक के कार्य एवं उत्तरदायित्व

1. अपने वरिष्ठ अधिकारी के सीधे नियंत्रण में रहेगा एवं अपने कर्त्तव्यों के सम्पादन के लिये पूर्णतः उत्तरदायी होगा । उसके कार्यक्षेत्र में ही उपस्थित रहकर उपलब्ध जल संसाधनों के सतत विकास तथा विभागीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी होगा । वह उसके अधीन दिये गये मत्स्य जमादार, चौकीदार पर प्रशासनिक एंव तकनीकी नियंत्रण रखेगा ।
2. क्षेत्र के उपलब्ध समस्त जलसंसाधनों का सर्वेक्षण करेगा उन्हें पंजीबद्ध करेगा एवं उनके विकास के प्रस्ताव अपने वरिष्ठ अधिकारी को देगा ।

3. अपने क्षेत्र के मछली पालन से संबंधित मछुआरों, मत्स्य पालकों की सूची बनायेगा एवं समय–समय पर अद्यतन करेगा तथा उन्हें नवीन तकनीकों एवं प्रोद्योगिकियों की आधुनिक जानकारी देगा उनकों विभिन्न प्रशिक्षणों में भाग लेने हेतु नामांकित करावेगा

4. अपने क्षेत्र में मछलीबीज उत्पादन, मत्स्योत्पादन संबंधी तकनीकी सलाह देगा तथा मछली पालन को लोकप्रिय एवं जनोपयोगी बनाने के लिये लोगों को प्रेरित करेगा ।

5. ग्राम सभा / जन पंचायतों के अधीन तालाबों को पट्‌टे पर उठाने हेतु विभागीय नियमानुसार सलाह देगा ।

अध्याय 4 (मैनुअल–3)

कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

अभिलेख

अभिलेख का नाम :–	1–	म.प्र. मत्स्योद्योग अधिनियम 1948 एवं म.प्र. मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 1981
	2–	म.प्र. नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972
	3–	म.प्र. मछुआ सहकारी समितियों (उधार एवं सहायकी) नियम 1972

.

अभिलेख का संक्षिप्त परिचयः– प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों के मत्स्य विदोहन हेतु राजपत्र में प्रकाशित नियम एवं प्रदेश में पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को उपलब्ध कराई जाने वाली अर्थिक सहायता संबंधी नियम

,

और अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त
– कार्यालय उप संचालक
मत्स्योद्योग सिवनी

कर सकते हैं — दूरभाष : 07692 – 220523

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो) — शासन द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा ।

अध्याय 4 (मैनुअल–3)

निर्णय लेने की प्रक्रिया,
(नस्ती खोले जाने से निर्णय लिए जाने तक)

9.1 किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए लोक प्राधिकरण में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है ? (सचिवालय, मैनुअल और बिजीनस मैनुअल के नियमों, आदि नियमों का उपयोग किया जा सकता है)

9.2 किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया क्या है अथवा निर्णय लेने के लिए किस–किस स्तरों पर विचार किया जाता है ?

9.3 लिए गए निर्णय को जनता तक पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था है ?

9.4 विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिए प्राप्त की जाती है ?

9.5 अंतिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकारित अधिकारी ।

9.6 मुख्य विषय जिस पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है, उसका विवरण निम्न प्रारूप में अलग से प्रस्तुत करें ।

मध्य प्रदेश शासन
मछलीपालन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ–23–1/2001/36 भोपाल, दिनांक 31 जनवरी, 2001

प्रति,

संचालक,
मत्स्योद्योग
म0प्र0

विषय :– ग्राम सभाओं के अधिकार एवं कर्तव्यों का विकेन्द्रीकरण ।

राज्य शासन मछलीपालन विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम/गतिविधियों के निर्वाहन का उत्तरदायित्व ग्राम सभाओं को सौंपा जाता है :–

(1) ग्राम स्तर पर विभिन्न व्यक्तिमूलक योजनाओं के हितग्राहियों का चयन करना तथा जिला पंचायत को भेजना।

(2) 10 हैक्टेयर तक के तालाबों में मछली पकड़ने/मारने का अधिकार ग्राम सभा इसका नियमन एवं नियंत्रण भी करेगी ।

उपरोक्त व्यवस्था दि0 26 जनवरी 2001 से लागू मानी जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर. डी. श्रीवास्तव)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, मछलीपालन विभाग

पृ0क्र0 एफ–23–1/2001/36 भोपाल, दिनांक 31 जनवरी, 2001

प्रतिलिपि:–

1. शासन के समस्त विभाग (प्रमुख सचिव/सचिव)
2. समस्त संभागायुक्त म0प्र0
3. समस्त विभागाध्यक्ष म0प्र0
4. समस्त जिलाध्यक्ष म0प्र0
5. सचिव, राज्यपाल महोदय म0प्र0 भोपाल ।
6. सचिव, म0प्र0 विधानसभा सचिवालय भोपाल ।
7. निज सचिव मा0मुख्यमंत्री/मंत्री म0प्र0
8. समस्त उप संचालक, जिला – – – – – – –

3
मध्यप्रदेश शासन, [illegible]

मध्य प्रदेश शासन
मछली पालन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 23/[illegible]1/2001/[illegible] भोपाल, दिनांक 29/3/2001

प्रति,

संचालक,
मत्स्योद्योग,
म. प्र. भोपाल ।

विषय: ग्राम सभाओं को अधिकार एवं कर्तव्यों का विकेन्द्रीकरण ।

मध्य प्रदेश शासन
मछली पालन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 23-1/2001/36 भोपाल, दिनांक 28.9.2001

प्रति,

1. समस्त संभागीय आयुक्त,
   म. प्र.
2. समस्त जिला कलेक्टर,
   म. प्र.
3. समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत, म. प्र.
4. संचालक, मत्स्योद्योग,
   म. प्र.
5. प्रबंध संचालक,
   म. प्र. मत्स्य महासंघ (सह.) मर्या. भोपाल.
6. समस्त, संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक,
   मत्स्योद्योग, म. प्र.
7. समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत,
   म. प्र.
8. समस्त, सचिव,
   ग्राम सभा, म. प्र.

विषय :- पंचायत के कर्तव्यों एवं कार्यक्रमों का विकेन्द्रीकरण ।

संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 31.1.2001 एवं संशोधन आदेश क्र0 23/1/2001/36 दिनांक 29.3.2001

==0==

संदर्भित आदेशों के अनुरूप म. प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 क्रमांक (1994)

--2--

2. पृष्ठ क्रमांक-2 बिन्दु क्रमांक 1.5 को विलोपित करते हुए निम्न प्रतिस्थापित किया जाता है "तालाब/जलाशय पट्टे पर देने से प्राप्त आय संबंधित ग्राम सभा/जनपद/जिला पंचायत के कोष में जमा होगी"।

3. पृष्ठ क्रमांक-7 के परिशिष्ट-एक के पैरा 3 को विलोपित करते हुए निम्न प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"किसी तालाब अथवा जलाशय का क्षेत्र दो या उससे अधिक ग्राम सभाओं/जनपद पंचायतों की सीमा में आने पर उस तालाब का प्रबंधन उस ग्राम सभा/जनपद पंचायत के अधीन होगा, जिसके अंतर्गत उस तालाब/जलाशय का अधिक क्षेत्र आता हो । दो ग्राम सभाओं के विवाद की स्थिति में इसका निर्णय संबंधित जनपद पंचायत करेगी । एवं दो जनपद पंचायतों के विवाद का निर्णय जिला पंचायत द्वारा किया जावेगा । यदि दो ग्राम सभाओं या दो जनपद पंचायतों के बीच जलाशय/तालाब के प्रबंधन एवं रखरखाव में खर्च आदि कोई हो तो जलाशय/तालाब के रखरखाव एवं प्रबंधन का व्यय संबंधित ग्राम सभा/जनपद पंचायत जलक्षेत्र के अनुपात में वहन करेगी

इसी प्रकार राजस्व का बटवारा भी जलक्षेत्र के अनुपात में होगा । यदि

5. पृष्ठ-9 के बिन्दु क्रमांक 5 के नीचे 5.1 में ग्राम पंचायतों/जनपद पंचायतों के स्थान पर ग्राम सभा/जनपद पंचायत प्रतिस्थापित किया जाता है ।

6. पृष्ठ-11 परिशिष्ट-एक (क) के अनुबंध पत्र में जहाँ-जहाँ ग्राम पंचायत लिखा है, वहाँ ग्राम सभा प्रतिस्थापित किया जाता है ।

7. पूर्व प्रसारित आदेश क्र0 2886/96/36, दिनांक 31.10.96 के परिशिष्ट-एक एवं परिशिष्ट-एक (क) के अनुबंध पत्र में जहाँ-जहाँ सिर्फ पंचायतों का उल्लेख है, वहाँ-वहाँ ग्राम सभा/जनपद पंचायत पढ़ा जावे ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,
(के0एल0 हकीम)
अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
मछली पालन विभाग

पृ0क्र0 एफ 23-1/2001/36 भोपाल, दिनांक 28.9.2001

प्रतिलिपि :-

1/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

2/ सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

28/9/2001
(के0एल0 हकीम)
अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
मछली पालन विभाग

मत्स्य पालन विकास कार्यक्रमों में विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड

अभिलेख का नाम :–	1– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों हेतु प्रचलित सहायता कार्यक्रम में अनुदान की दरें, 2– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मत्स्य पालकों हेतु प्रचलित सहायता कार्यक्रम में अनुदान की दरें 3– केन्द्र शासन द्वारा मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजना अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों हेतु मत्स्य पालकों को ऋण एवं अनुदान संबंधी नियम एवं निर्देश 4– मछुआ प्रशिक्षण संबंधी निर्देश एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, 5– केन्द्र शासन द्वारा मछुआ आवास योजना अंतर्गत निर्धारित प्रावधान । 6– विभिन्न प्रजातियों मत्स्यबीज की विक्रय दरें एवं शोभायमान मछलियों की विक्रय दरें । 7– विभागीय जलाशयों में मत्स्याखेट की स्वत्व शुल्क (रायल्टी) दरों का निर्धारण । 8– मत्स्य पालन/मत्स्यबीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु समय सारणी ।
अभिलेख का संक्षिप्त परिचयः–	प्रदेश में संचालित राज्य एवं केन्द्र शासन की योजनाओं में स्वीकृत प्रावधानों अंतर्गत सामान्य, अनुसूचित जाति/ जनजाति की पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों/मत्स्य पालकों एवं मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के लिए दी जाने वाली सहायता के मापदण्ड तथा विभिन्न प्रजातियों के मछलियों के बीज विक्रय हेतु संचालनालय द्वारा निर्धारित दरें एवं मत्स्य पालन से संबंधित कार्यक्रम की समय सारणी (कैलेण्डर)

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख – उप संचालक मत्स्योद्योग, सिवनी

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)	शासन द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा ।

अध्याय 5 (मैनुअल–4)

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाई गई व्यवस्था का विवरण

नीति निर्धारण हेतु

5.1 क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के संबंध में जनता या जन प्रतिनधि की परामर्श /भागीदारी का कोई प्रावधान है ? यदि है तो व्यवस्था का विवरण इस प्रारूप में प्रस्तुत करें ।

क्र. सं.	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है ? (हां/ नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था
	–	–	–

5.2 क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि से/की परामर्श/भागीदारी का कोई प्रावधान है? यदि है तो व्यवस्था का विवरण इस प्रारूप में प्रस्तुत करें ।

क्र. सं.	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है ? (हां/ नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था
	–	–	–

अध्याय 6 (मैनुअल 5)

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गो (**categories**) के अनुसार विवरण

कार्यालय उप संचालक मत्स्योद्योग सिवनी मे पदस्थ कर्मचारी एवं उनके द्वारा
सम्पादित की जा रही शाखाओं की जानकारी निम्नानुसार है :–

कमांक	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	सम्पादित की जा रही शाखा
1	श्री एम0के0अमूल सहायक यंत्री	यांत्रिकी शाखा
2	श्री एम0के0मिश्रा उप यंत्री	यांत्रिकी शाखा
3	श्री पी0के0खंग मत्स्य पालन प्रसार अधिकारी	तकनीकी शाखा
4	श्रीमति संध्या कुमार मत्स्य निरीक्षक	तकनीकी शाखा
5	श्री एस0के0बक्शी मत्स्य निरीक्षक	तकनीकी शाखा
6	श्री राजेन्द्र सिंह सहायक ग्रेड–2	लेखा शाखा
7	श्री राजकुमार सिंह सहायक ग्रेड–3	स्थापना शाखा
8	श्री सुनील कुमार सहायक ग्रेड–3	भंडार शाखा
9	श्री ए0के0गहलोद स्टेनो टायपिस्ट	लेखा शाखा FFDA
10	श्री एन0के0यादव सहायक ग्रेड–3	टंकण शाखा
11	श्री राजेन्द्र चौबे सहायक ग्रेड–3	आवक जावक शाखा

अध्याय – 7 (मैनुअल 6)

बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

जिले मे मत्स्य कृषक विकास अभिकरण गढित है, अभिकरण की प्रबंध कार्य कारिणी के अध्यक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पदेन है , तथा सदस्य सचिव जिला अधिकारी मत्स्योद्योग विभाग (उप संचालक मत्स्योद्योग सिवनी) है । कार्यपालन यंत्री जल संसाधन, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, उप संचालक पंचायत , उप पंजीयक सहकारी समितियां, अग्रणी बैंक मैनेजर, महाप्रबंधक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , अध्यक्ष सहकारी बैंक, दो मत्स्य कृषक (एक महिला एवं एक पुरूष) वर्तमान मे श्रीमति चैतो बाई ग्राम छपारा विकासखण्ड बरघाट तथा श्री ओमलाल गौर सिवनी सदस्य है ।

अध्याय – 8 (मैनुअल 7)

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

8.1 कृपया लोक प्राधिकरण में कार्यरत लोक सूचना अधिकारियों, सहायक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलेट अथोरिटी से संबंध में निम्न प्रारूप में सूचना प्रस्तुत करें –

सहायक लोक सूचना अधिकारी

क्र. सं.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई.मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री पी0के0खंग	सहायक मत्स्य अधि0	07692	220523	निल	–	-	अकबर वार्ड सिवनी
2	श्री एस0के0बक्शी	मत्स्य निरीक्षक	07692	220523	223177			सुभाष वार्ड सिवनी
3	श्री सी0एस0 ठाकुर	मत्स्य निरीक्षक .	07690	–	240657			पुलिस थाने के पास कचहरी वार्ड लखनादौन
4	श्री आर.के.राय	मत्स्य निरीक्षक	07690	–	–			मत्स्य बीज प्रक्षेत्र लखनदौन
5	श्री डी.के.शुक्ला	मत्स्य निरीक्षक	07695	–	212917			चांदनी चौक कुरई
6	श्री एस.के. द्विवेदी	मत्स्य निरीक्षक	07692	–	227313			विकासखण्ड बरघाट कार्यालय बरघाट

विभागीय अपीलेट अथोरिट

क्र. सं.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई.मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री एम.एस. कुशवाह	मुख्य कार्य पालन अधि. जिला पंचायत सिवनी	07692	220373	220478	–	–	मुख्य कार्य पालन अधि. आवास बारा पत्थर सिवनी

अध्याय 9 (मैनुअल 8)

निर्णय लेने की प्रक्रिया

निर्णय लेने की प्रकिया एवं पर्यवेक्षण एवं जबाबदेही

जिला स्तर पर उप संचालक मत्स्योद्योग सिवनी का पद स्वीकृत है **निर्णय लेने की प्रकिया एवं पर्यवेक्षण एवं जबाबदेही है ।**

अध्याय 10 (मैनुअल 9)

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

10.1 कृपया जानकारी निम्न प्रारूप में जनपद वार दें –

क्र. सं.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई. मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री एम0के0अमूले	सहायक यंत्री	07692	220523	216075	–	–	बारा पत्थर सिवनी
2	श्री एम0के0 मिश्रा	स्नातक यंत्री	07692	220523	–	–	–	बारा पत्थर सिवनी
3	''पी0के0खंग	मत्स्य पालन प्रसार अधि0 सिवनी	07692	220523	–	–	–	अकबर वार्ड सिवनी
4	श्री एस.के. त्यागी	स0म0अ0	07692	250201	9425445989	–	–	म0बी0प्रक्षेत्र जेवनारा
5.	श्री एस.के. बक्शी	मत्स्य निरीक्षक	07692	220523	223177	–	–	सुभाष वार्ड सिवनी
6	श्री डी.के. शुक्ला	मत्स्य निरीक्षक	07692	220523	224085	–	–	चांदनी चौक कुरई
7	श्री एस.के. द्विवेदी	मत्स्य निरीक्षक	07692	220523	227313	–	–	कार्यालय विकासखंड बरघाट
8	श्रीमति संध्या कुमार	मत्स्य निरीक्षक	07692	220523	225378	–	–	कस्तूरबा वार्ड सिवनी
9	श्री आर.के. राय	मत्स्य निरीक्षक	–	–	9425147707	–	–	म0बी0प्रक्षेत्र लखनादौन

10	श्री सी.एस. ठाकुर	मत्स्य निरीक्षक	07690	–	240657	–	–	कचहरी वार्ड लखनादौन
11	श्री राजेन्द्रसिंह	सहायक ग्रेड–2	07692	220523	–	–	–	महामाया वार्डसिवनी
12	श्री राजकुमार सिंह	सहायक ग्रेड–3	07692	220523	225180	–	–	महामाया वार्ड सिवनी
13	श्री सुनील कुमार	सहायक ग्रेड–3	07692	220523	216056	–	–	कस्तूरबा वार्ड सिवनी
16	श्री ए.के. गहलोद	स्टेनो टायपिस्ट	07692	220523	225588	–	–	बारापत्थर सिवनी
17	श्री एन.के. यादव	सहायक ग्रेड–3	07692	220523	–	–	–	दुर्गा चौक सिवनी
18	श्री राजेन्द्र चौबे	सहायक ग्रेड–3	07692	220523	–	–	–	महामाया वार्ड सिवनी

अध्याय 11 (मैनुअल 10)
प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

11.1 कृपया जानकारी निम्न प्रारूप में दे –

क्र. सं.	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक / पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हो
1	2	3	4	5	6
1.	श्री ओ0पी0 सक्सेना	उप संचा. मत्स्यो0 सिवनी	17515	–	मध्य प्रदेश शासन द्वारा देय वेतनमान
2	श्री एम0के0अमूले	सहायक यंत्री	15331	–	मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित देय वेतनमान
3	श्री एम0के0 मिश्रा	स्नातक यंत्री	11500	–	––,,––
4	''पी0के0खंग	मत्स्य पालन प्रसार अधि0 सिवनी	8268	–	––,,––
5	श्री एस.के. त्यागी	स0म0अ0	11700	–	––,,––
6.	श्री एस.के. बक्शी	मत्स्य निरीक्षक	9238	–	––,,––
7	श्री डी.के. शुक्ला	मत्स्य निरीक्षक	8953	–	––,,––
8	श्री एस.के. द्विवेदी	मत्स्य निरीक्षक	8953	–	––,,––
9	श्रीमति संध्या कुमार	मत्स्य निरीक्षक	7219	–	–,,––
10	श्री आर.के. राय	मत्स्य निरीक्षक	9161	–	––,,––
11	श्री सी.एस. ठाकुर	मत्स्य निरीक्ष	8953	–	––,,––

12	श्री राजेन्द्रसिंह	सहायक ग्रेड–2	8795	–	—,,——
13	श्री राजकुमार सिंह	सहायक ग्रेड–3	6583	–	—,,——
14	श्री सुनील कुमार	सहायक ग्रेड–3	6074	–	—,,——
15	श्री ए.के. गहलोद	स्टेनो टायपिस्ट	7985	–	—,,——
16	श्री एन.के. यादव	सहायक ग्रेड–3	7642	–	—,,——
17	श्री राजेन्द्र चौबे	सहायक ग्रेड–3	6893	–	—,,——
18	श्री राजाराम मिश्रा	वाहन चालक	6994	–	—,,——
19	श्री जयराम तेकाम	मत्स्य जमादार	5200	–	—,,——
20	श्री कामता प्रसाद	मत्स्य जमादार	5300	–	—,,——
21	श्री दिनेश कुमार	मत्स्य जमादार	5000	–	—,,——
22	श्री इंदरसिंह	भृत्य	5100	–	—,,——
23	'' भुवनेश्वर	भृत्य	4300	–	—,,——
24	श्री सूरज लाल	पम्प चालक	5400	–	—,,——
25	श्री दशरथ प्रसाद	जलाशय चौकीदार	5000	–	—,,——
26	श्री रमेश कुमार	जलाशय चौकीदार	5000	–	—,,——
27	श्री शंकरलाल	जलाशय चौकीदार	4400	–	—,,——
28	श्री निरंजन बेलिया	मछुआ	5000	–	—,,——
29	श्री रामेश्वर प्रसाद	कार्यालय चौकीदार	4400	–	—,,——
30	श्री उमाशंकर हरिनखेडे	क्लीनर	5000	–	—,,——

31	श्रीमति पुष्पा यादव	प्रक्षेत्र चौकीदार	4700	–	––,,––

अध्याय 12 (मैनुअल 11)
प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट
(सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

कं0	विवरण	आवंटन (लाख मे)	व्यय (लाख मे)	व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	त्रिस्तरीय पंचायती राज्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता :— .मांग संख्या—80—आयोजना(सामान्य) 1. छात्रवृत्ति एवं वृत्तियां (मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण) 2. संधारण अनुदान (कार्यालय व्यय) 3. कृषक अनुदान (पौण्ड कल्चर,तालाब, नवीन वाहन कय) 4. विस्तार एवं प्रशिक्षण 5. मछुआ सहकारी समितियों को अनुदान 6. मछुआ सहकारी समितियों को ऋण	0.88 1.25 9.20 0.30 0.40 0.10	0.88 0.43 6.389 0.096 0.40 0.10	
	योग :—	12.13	8.295	68.34
2	मांग संख्या—82—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना :— 1. संधारण अनुदान वेतन एवं भत्ता 2. कृषक अनुदान (मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजना) 3. विस्तार एवं प्रशिक्षण 4. मत्स्य पालन प्रसार 5. सहकारी मीन समितियों को अनुदान	2.61 6.40 0.30 0.45 0.30	1.868 4.58 0.096 0.45 0.30	
	योग :—	10.06	7.294	72.50
3	मांग संख्या—15—विशेष घटक योजना :— 1. कृषक अनुदान (मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजना) 2. मत्स्य पालन प्रसार 3. विस्तार एवं प्रशिक्षण	0.40 0.05 0.05	0.40 — 0.016	
	योग :—	0.50	0.416	83.2
	कमांक 1+2+3 का योग :—	22.69	16.005	70.53
4	मांग संख्या—16—आयोजना(सामान्य) 4.1 मत्स्य बीज उत्पादन :— अ. अन्य प्रभार ब. अनुरक्षण कार्य स. लघु निर्माण 4.2 बचत सह राहत योजना :— 4.3—जलाशय एवं नदियों मे मत्स्य विकास 1.अन्य प्रभार	6.00 1.50 2.50 0.713 0.05	4.738 1.148 1.328 0.646 —	
	योग :—	10.763	7.86	73.02
	सभी योजनओं का योगः—	33.453	23.865	71.33

अध्याय – 13 मैनुअल

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का रीति

13.1 कृपया निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध करायें –

- कार्यक्रम/योजना का नाम :– पौण्ड कल्चर एवं पौण्ड कस्ट्रक्शन
- कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा :– 10 वर्ष
- कार्यक्रम का उद्देश्य :– मत्स्य पालन से रोजगार एवं आय मे वृद्धि
- लाभार्थी की पात्रता :– ग्राम सभा द्वारा चयनित किया जाता है ।
- पूर्वापेक्षाएं :– हितग्राही मत्स्य पालन मे रूचि रखता हो ।
- अनुदान/सहायक प्राप्त करने की प्रक्रिया :– कृषि स्थाई समिति द्वारा अनुमोदित
- पात्रता निश्चित करने के लिए मानदण्ड :– सामान्य हेतु 20 प्रतिशत अनुसूचित एवं अनुसूचित जन जाति हेतु 25 प्रतिशत की पात्रता है ।
- दिए जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण :– सूची निम्नानुसार है
- अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया :– बैंक के माध्यम से
- आवेदन करने के लिए कहाँ /किससे सम्पर्क करें :– कार्यालयीन स्तर पर उप संचालक मत्स्योद्योग एवं विकास खण्ड स्तर पर मत्स्य निरीक्षक
- आवेदन शुल्क (जहाँ उचित हो) :– निशुल्क
- अन्य शुल्क (जहाँ उचित हो) :– निरंक
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदक सादे कागज पर होतो है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों काा वर्णन करें) :–आवेदन मे आवेदक अपना नाम पता तथा किस कार्यक्रम से लाभांवित होना चाहता विवरण प्रस्तुत करेगा ।
- संलग्नकों की सूची :– तालाब निर्माण के केश मे भूमि का नक्शा एवं खसरा लगायेगा ।
- संलग्नकों का प्रारूप :– उपरोक्तानुसार
- प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहाँ सम्पर्क करें:– कार्यालय उप संचालक मत्स्योद्योग ज्यारत नाका सिवनी ।
- उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि) :– मैन्युअल 11 का अवलोकन करें ।
- लाभार्थियों की सूची (निम्न प्रारूप पर)

पौण्ड कल्चर योजना अंतर्गत प्रदत्त सहायता की जानकारी

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	वर्ग	अनुदान की राशि	पात्रता का आधार	निवास			
					ग्राम	विकास खण्ड	जिला	मकान नं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री सोविंद राम	सामान्य	19600.00	तालाब का पट्टाधारक	गोकलपुर	बरघाट	सिवनी	–

2.	,, चैतराम ढीमर	सामान्य	9000.00	——,,——	पांडयेर	बरघाट	सिवनी	—
3	,, देवेन्द्र बरमैया	सामान्य	9000.00	——,,——	दौंदीवाडा	बरघाट	सिवनी	—
4	,, पवन ढीमर	सामान्य	4900.00	——,,——	कारीरात	सिवनी	सिवनी	—
5	,, छोटे ढीमर	सामान्य	4380.00	——,,——	जाम	सिवनी	सिवनी	—
6	,, रोशन ढीमर	सामान्य	11000.00	——,,——	मैली	सिवनी	सिवनी	—
7	,, गनाराम ढीमर	सामान्य	11000.00	——..——	मैली	सिवनी	सिवनी	—
8	,, सावन ढीमर	सामान्य	11000.00	——,,——	मैली	सिवनी	सिवनी	—
9	,, किशन लाल	सामान्य	11000.00	——,,——	मैली	सिवनी	सिवनी	—
10	,, अनंतराम मरार	हरिजन	11000.00	——,,——	मैली	सिवनी	सिवनी	—
11	,, सुरेश हुल्कर	हरिजन	2400.00	——,,——	जाम	सिवनी	सिवनी	—
12	,, हरसू गोंड	आदि0	4200.00	——,,——	ऐरपा	सिवनी	सिवनी	—
13	,, भुवन एवं जीवन	आदि0	6125.00	——,,——	झितर्रा	केवलारी	सिवनी	—
14.	,, चुन्नी लाल एवं चंदन ढीमर	सामान्य	6125.00	——,,——	सकरी	केवलारी	सिवनी	—
15	,, नंदू ढीमर	सामान्य	13400.00	——,,——	झगरा	केवलारी	सिवनी	—
16	श्रीमति अनुसुईया ढीमर	सामान्य	13400.00	——,,——	जोरावारी	बरघाट	सिवनी	—
17	श्री अयोध्या प्रसाद अध्यक्ष म0स0स0बोरी	——,,——	18600.00	——,,——	बोरी कलां	बरघाट	सिवनी	—
18	श्री सरनसिंह उईके	आदि0	7850.00	——,,——	जोरावारी	बरघाट	सिवनी	—
19	,, सरुप सिंह गोंड	आदि0	7850.00	——,,——	जोरावारी	बरघाट	सिवनी	—
20	,, जय सिंह गोंड	आदि0	7850.00	——,,——	जोरावारी	बरघाट	सिवनी	—
21	,, लाल सिंह गोंड	आदि0	7850.00	——,,——	जोरावारी	बरघाट	सिवनी	—
22	,, संतलाल गोंड	आदि0	4250.00	——,,——	घाट पिपरिया	सिवनी	सिवनी	—
23	,, कोमलचंद गोंड	आदि0	5750.00	——,,——	——,,——	सिवनी	सिवनी	—
24	,, मानसिंह गोंड	आदि0	17767.00	——,,——	दिघोरी	सिवनी	सिवनी	—
25	,, प्रहलाद गोंड	आदि0	29200.00	——,,——	वाम्हनदेही	सिवनी	सिवनी	—
26	,, अजय ढीमर	सामान्य	6900.00	——,,——	सिवनी	सिवनी	सिवनी	—
27	,, गोपी चंद ढीमर	सामान्य	3000.00	——,,——	पाटन	कुरई	सिवनी	—
28	अध्यक्ष म0स0समि0 कुडवा	आदि0	30000.00	——,,——	कुडवा आगरी	कुरई	सिवनी	—
29	श्री बिलास तिजारे	सामान्य	16000.00	——,,—	बोरी खुर्द	बरघाट	सिवनी	—
30	श्री सुनील कश्यप	सामान्य	12272.00	——,,——	सिवनी	सिवनी	सिवनी	—
31	श्री मुन्नालाल ढीमर	सामान्य	5080.00	——,,——	सिवनी	सिवनी	सिवनी	—

स्वंय की भूमि मे तालाब निर्माण योजना अंतर्गत प्रदत्त अनुदान लाभर्थियों की सूची :–

क्रं.	हितग्राही का नाम	वर्ग	प्राप्त अनुदान राशि	पात्रता का आधार	निवासी			रिर्माक
					ग्राम	वि0ख0	जिला	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्रीमति चंदवती बाई	आदि.	25300.00	स्वंय की भूमि मे तालाब निर्माण	केवलारी	केवलारी	सिवनी	–
2	श्री हरिचंद्र प्रधान	–,,–	46400.00	––,,––	उडेपानी	सिवनी	सिवनी	–
3	,,फकीर चंद गोंड	–,,–	46400.00	––,,––	उडेपानी	सिवनी	सिवनी	–
4	,, रामदास भलावी	–,,–	26600.00	––,,––	सिंदरिया	कुरई	सिवनी	–
5	,, अखिलेश गोंड	–,,–	25200.00	––,,––	चंद्रपुर	कुरई	सिवनी	–
6	श्रीमति समको बाई	–,,–	38700.00	––,,––	मरूमगंज	कुरई	सिवनी	–
7	श्री तामसिंह गोंड	–,,–	65700.00	–,,–	मोहम्मदपुर	कुरई	सिवनी	–
8	श्री राजुल भार्गव	सामा.	37100.00	––,,––	कुरई	कुरई	सिवनी	–
9	श्रीमति विद्यादेवी	सामा.	7000.00	––,,––	मुंडरई	सिवनी	सिवनी	–
10	श्री अजय मिश्रा	सामा.	24000.00	––,,––	बंडोल	सिवनी	सिवनी	–
11	,,हरिप्रसाद अहीर	सामा.	14000.00	––,,––	पीपरढाना	छपारा	सिवनी	–
12	,, कोमल चंद्रवंशी	सामा.	25200.00	––,,––	डुंगरिया	सिवनी	सिवनी	–
13	,, सीताराम अरिवार	हरि0	26600.00	––,,––	मकरझिर	लखनदौन	सिवनी	–
14	,, आत्माराम महार	हरि0	11600.00	––,,––	ताखला कलां	बरघाट	सिवनी	–
15	,, ब्रजेश शिववेदी	हरि0	26600.00	––,,––	छुई	सिवनी	सिवनी	–
16	,, गोर्वधन नायक	हरि0	14000.00	––,,––	मडई	लखनादौन	सिवनी	
17	श्रीमति अनुपमा बाई	सामा.	36400.00	––,,––	–	केवलारी	सिवनी	–
18	श्री गयाप्रसाद सनोडिया	सामा.	36400.00	––,,––	बांधी	सिवनी	सिवनी	–
19	श्री धरम सूर्यवंशी	सामा.	20000.00	––,,––	बरघाट	बरघाट	सिवनी	–

अध्याय 14 (मैनुअल 13)

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

- कार्यक्रम का नाम निरंक
- प्रकार (रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्रधिकार में से एक चुने) – निरंक
- उद्देश्य निरंक
- लक्ष्य (विगत वर्ष में) निरंक
- पात्रता निरंक
- पात्रता का आधार निरंक
- पूर्वापेक्षाएं निरंक
- प्राप्त करने की प्रक्रिया निरंक
- रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार दिए जाने के लिए निर्धारित समयसीमा – निरंक
- आवेदन शुल्क निरंक
- आवेदन पत्र का प्रारूप निरंक
- संलग्नकों की सूची निरंक
- संलग्नकों का प्रारूप निरंक
- प्राप्तिकर्ताओं की सूची (निम्न प्रारूप पर)

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	वल्दियत	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला / गाँव	मकान नं0
–निरंक–								

रियायत के लिए निम्न जानकारी भी उपलब्ध कराएं

- दिए जाने वाले लाभ का विवरण निरंक
- लाभ के वितरण की प्रक्रिया निरंक

कृत्यों के निर्वहन के स्थापित मानक/नियम

समितियों को मत्स्याखेट उपकरणों, जलाशय की पट्टा राशि, मछली बीज विक्रय आदि प्रयोजनों हेतु शासन की ओर से ऋण एवं अनुदान मध्यप्रदेश मछुआ सहकारी समितियां उधार एवं सहायकी नियम 1972 के तहत उपलब्ध कराया जाता है ।

आदिवासी क्षेत्र उपयोजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति मछुआ सहकारी समितियों विशेष घटक योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति मछुआ सहकारी समितियों की पंचायतों, सिंचाई एवं शासकीय अर्द्धशासकीय निकायों के तालाबों को भारत शासन नीति अनुसार पट्टे पर लेने और ऐसे तालाबों में पंचायत की तकनीकी मार्गदर्शन में प्रचलित नीति एवं नियमों का पालन करते हुए मत्स्य पालन करने की दशा में योजनान्तर्गत निम्नानुसार अनुदान की पात्रता होती है :–

क्र.	कार्य जिसके लिये अनुदान की पात्रता होगी	योजनान्तर्गत पट्टा अवधि में सहायकी (अनुदान) का प्रतिशत			अनुदान अधिकतम सीमा (रू.में)
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष से पॉचवे वर्ष तक	छटवे वर्ष से शेष पट्टावधि तक	
1	हिस्सा पूंजी अंशदान हेतु	100	100	100	5000
2	तालाब पट्टा राशि के भुगतान हेतु	100	50	25	42500
3	मछली बीज कय एवं संचयन हेतु	100	50	25	52500
4	जाल–नाव के कय हेतु	100	100	–	5000
	कुल योग रूपये				**150000**

योजना अंतर्गत मछुआ सहकारी समितियों को रूपये 0.10 के प्रावधान के विपक्ष में 1 समितियों को 62 सदस्यों को रूपये 0.10 लाख का ऋण उपलब्ध कराया गया एवं अनुदान हेतु रूपये 0.70 लाख के विपक्ष में 2 समितियों के 82 सदस्यो को अक्टूबर,05 तक रूपये 0.70 लाख उपलब्ध कराया गया । इसके अतिरिक्त उनके अधीनस्थ जलाशयों में कार्यरत समितियों को उनके स्तर में भी जाल एवं नाव हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है ।

<u>विस्तार एवं प्रशिक्षण</u>

इस योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा निम्न कार्यकम क्रियान्वित किए जाते है –

- मत्स्योद्योग विकास एवं योजनाओं के सफलतापूर्वक संचालन एवं नवीनतम तकनीक की जानकारी देने के लिए विभागीय अधिकारियों एवं मैदानी कर्मियों को समय–समय पर विभागीय प्रशिक्षण मध्यप्रदेश केन्द्र नौगांव, छतरपुर में प्रशिक्षण दिलाया जाता है ।

` मछुआरों को मत्स्याखेट मत्स्य पालन का 30 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है । प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षणार्थी को दैनिक प्रशिक्षण भत्ता, आने जाने का यात्रा व्यय एवं जाल के लिए नायलोन धागा उपलब्ध कराया जाता है । प्रति प्रशिक्षणार्थी पर रूपये 1250/– की सीमा तक व्यय किया जाता है । योजना अंतर्गत वर्ष 2004–05 में 52 मछुओं के प्रशिक्षण के लक्ष्य के विपक्ष में 18 मछुओं प्रशिक्षण दिया गया ।

अन्तर्देशीय मात्स्यिकी एवं जलकृषि विकास योजना

जिला में मत्स्य कृषक विकास अभिकरण की इकाइयॉ पंजीकृत है ।

ग्रामीण जलक्षेत्र में मत्स्य पालन की योजनाएं

ग्राम तालाब स्थानीय हितग्राहियों को 10 वर्षीय पट्टे पर मत्स्य पालन हेतु शासन की नीति अनुसार प्रदाय किए जाते है । हितग्राहियों को मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के अंतर्गत तालाबों में इनपुट्स जिसमें पट्टाराशि मत्स्य बीज, खाद, पूरक आहार एवं दवाइयों के लिए रूपये 30,000/– प्रति हैक्टेयर ऋण एवं सामान्य मछुओं को 20 प्रतिशत की दर से अधिकतम रूपये 6000/– एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मछुओं के लिए 25 प्रतिशत की दर से अधिकतम रूपये 7500/– अनुदान देय होता है । तालाब सुधार जिसमें पानी आवागमन के रास्ते पर जाली लगाना, पार मरम्मत, जलीय वनस्पति सफाई आदि के लिए रूपये 60000/– प्रति हैक्टेयर की दर से ऋण उपलब्ध कराया जाता है । उपलब्ध कराए गए ऋणों में सामान्य मछुओं को 20 प्रतिशत रूपये 12,000/– अधिकतम एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मछुओं को 25 प्रतिशत अधिकतम रूपये 15,000/– की दर से अनुदान प्रदाय किया जाता है।

हितग्राहियों को अधिकतम उत्पादन के लिए मत्स्य कृषक विकास अभिकरण की योजलना अंतर्गत 10 दिवसीय नवीनतम मत्स्य पालन की तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें उन्हें प्रतिदिन रूपये 100/– का मानदेय प्रदान किया जाता है

स्वंय की भूमि मे तालाब निर्माण :–

लाभार्थियों को स्वयं की भूमि पर इनलेट, आउटलेट टयूबबेलों के एवं नये तालाबों के निर्माण हेतु – मैदानी क्षेत्रों में रूपये 2.00 लाख प्रति हैक्टैयर अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को छोडकर जिनके के लिए अधिकतम सीमा 50000 प्रति हैक्टैयर (25 प्रतिशत) सभी किसानों के लिए 40000 प्रति हैक्टैयर की की अधिकतम सीमा से 20 प्रतिशत की दर पर सहायता दी जाती है ।

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजनान्तर्गत उपलब्धियां

	अभिकरण (F.F.D.A.) लक्ष्य एवं उपलब्धियों की जानकारी				वर्ष 2005 से निरंतर	
			वर्ष 2004–05			
1	तालाब आवंटन	हैक्टेयर	10	13.13	15	21.19
2	मत्स्य बीज संचयन	लाख				
	1.ग्रामीण	लाख	83	106	117	120
	2.सिंचाई	लाख	85	85	80	78
3	मत्स्योत्पादन	मे0टन				
	1. ग्रामीण	,,	1972	1975	1805	467.00
	2. सिंचाई	,,	260	265	240	100.00

	3. नदी	,,	5	5	5	1
	योग :–		2237	2245	2050	568
4	प्रशिक्षण	संख्या	86	86	80	80
5	बैंक ऋण स्वीकृत	लाख	55.2	49.83	72	39.40
6	मत्स्य कृषकों को अनुदान	लाख	14.20	14.20	16.00	11.03

उक्त योजना में केन्द्र शासन एवं राज्य शासन का अंश क्रमशः 75 एवं 25 प्रतिशत है.

राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण निधि – मत्स्यजीवियों का वयैक्तिक दुर्घटना बीमा योजना

योजनान्तर्गत मत्स्य पालन व्यवसाय से जुड़े सक्रिय मछुआरों को आर्थिक सुरक्षा पहुंचाने के लिए विभाग द्वारा शत–प्रतिशत शासकीय व्यय से बीमा कराया जाता है । प्रति मछुआ वार्षिक प्रीमियम दर रूपये 14/– मात्र निर्धारित है । दुर्घटना में बीमाधारी मछुए की मृत्यु पर उनके द्वारा नामांकित वारिस कोरूपये 50,000/– एवं स्थाई अपंगता की दशा में बीमित मछुए को रूपये 25,000/– बीमा दावा राशि का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया जाता है । यह योजना प्रदेश में राष्ट्रीय मत्स्यजीवी सहकारी संध मर्यादित, नई दिल्ली के माध्यम से क्रियान्वित है ।

वर्ष 2004.05 मे सामान्य 1781, अनुसूचित जन जाति 667 तथा अनुसूचित जाति के 93 हितग्राहियों को उक्त योजना मे सम्मिलित किया गया है ।

आदर्श मछुआ ग्राम विकास योजना

योजनान्तर्गत जिले के बड़े जलाशयों पर मछुआरों की मूलभूत आवश्यक सुविधांए जैसे आवास, पेयजल, कम्यूनिटी हाल का निर्माण शासकीय व्यय यपर मछुआरों को उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि मछुए अपने कार्यस्थल पर ही सुविधापूर्वक रह सकें एवं आखेट दिवसों में वृद्धि के साथ–साथ मत्स्याखेट में भी वृद्धि हो सके । सुविधायुक्त आवासगृहों के निर्माण हेतु भारत शासन द्वारा प्रति आवासगृह रूपये 40,0000/– तक की राशि सीमांकित की गई है ।

जिले मे बरगी बांध जलाशय के समीप की 7 समितियों के 30 सदस्यों को उक्त योजना से मत्स्य महासंघ जबलपुर द्वारा लाभांवित किया गया है ।

बचत सह राहत योजना

"बचत–सह–राहत" योजना बंद ऋतु अवधि में मछुओं को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से राज्य में लागू की गई है । जिसमें पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों के सक्रिय सदस्यों द्वारा माह सितम्बर से माह मई तक कुल 9 माह रूपये 50/– प्रतिमाह की दर से बैंक/पोस्ट आफिस में जमा कराया जाता है । इस तरह 9 माह में हितग्राहियों द्वारा कुल रूपये 450/– जमा किये जाते है । इसके समतुल्य राशि रूपयें 450/– राज्य शासन द्वारा केन्द्रांश रूपये 225/– एवं राज्यांश रूपये 225/– अंश दान के रूप में दिया जाता है, जो हितग्राहियों को बंद ऋतु के समय रूपये 300/– के मान से ब्याज सहित वर्ष के माह जून, जुलाई एवं अगस्त माह में दिया जाता है ।

योजना अंतर्गत वष 2005.06 के लिए 4 मछुआ सहकारी समितियों के 158 मछुओं के द्वारारूपये 0.646लाख जमा किए गए है, जमा राशि के समतुल्य राशि का भुगतान सदस्यों को बंद ऋतु में भुगतान किया गया ।।

अध्याय 15 (मैनुअल 14)
कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

15.1 लोक प्राधिकरणें द्वारा अपने विभिन्न क्रियाकलापों/कार्यक्रमों के संपादन हेतु प्रयोग किए जाने मानक/नियमों का कार्यक्रमवार विवरण उपलब्ध करायें ।

1. तालाब आवंटन :– 10 हैक्टेयर तक के तालाबों को 10 वर्षीय पट्टे पर देने हेतु ग्राम सभा का अनुमोदन , 10 –100 हैक्टेयर तक के लिये जनपद पंचायत की कृषि स्थायी समिति तथा 100 से 2000 हैक्टेयर तक जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति के अनुमोदन पश्चात ही विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमति जारी की जाती है ।
2. प्रशिक्षण :– हितग्राही का चयन ग्राम सभा से कराया जाता है जिसका अनुमोदन जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति मे कराया जाता है ।
3. पौण्ड कल्चर :– पौण्ड कल्चर योजना के अनुदान का अनुमोदन कृषि स्थायी समिति से कराया जाता है ।
4. स्वंय की भूमि मे तालाब निर्माण :– उपरोक्त बिंदु क्रमांक 3 के अनुसार
5. समितियों को ऋण एवं अनुदान :– पात्रतानुसार आवेदन प्राप्त कर जिला पंचायत से अनुदान एवं ऋण स्वीकृत कराये जाने के प्रावधान है
6. मत्स्य पालन प्रसार :– अनुसूचित जाति एवंज न जाति के मत्स्य पालकों को पात्रतानुसार अनुदान का अनुमोदन भी जिला पंचायत से कराया जाता है ।

अध्याय 16 (मैनुअल 15)

इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनाएं

16.1 विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करें जो कि इलेक्ट्रनिक फार्मेट में हो ।

विभाग के विभिन्न कार्यक्रमो की जानकारी इलेक्ट्रानिक फार्मेट मे नही है । संचालनालय मत्स्योद्यो म0प्र0 भोपाल द्वारा अपनी बेवसाईट जारी की गई जिसकी एड्रेस निम्नानुसार है :–

❖ www.mpfisheries.nic.in

अध्याय 17 (मैनुअल 16)
सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं का विवरण

❖ पुस्तकालय	नहीं है .
❖ नाटक / नुक्कड़	लागू नहीं.
❖ अखबारों के द्वारा	योजनाओं की जानकारी, उपलब्धियाँ निविदाएं आदि प्रकाशित की जाती है ।
❖ प्रदर्शनी लगाई	मेलों में विशेष आयोजनों पर जाती है ।
❖ सूचना पटल	कार्यालय के प्रवेश द्वारा पर लगाया गया है ।
❖ अभिलेखों का निरीक्षण	मांग अनुसार नियमों के तहत निरीक्षण कराया जाता है ।
❖ दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था	उपलब्ध है ।
❖ उपलब्ध विभागीय मैनुअल	तैयार कराया जा रहा है ।
❖ लोक प्राधिकरण की वेबसाईट	है, www.mpfisheries.nic.in
❖ अन्य प्रचार प्रसार के साधन सम	आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर सामयिक विषयों पर प्रसारण किया जाता है।

अध्याय 18 (मैनुअल 17)
अन्य उपयोगी जानकारियां
मत्स्य कृषक विकास अभिकरण की
प्रबंध कार्य कारिणी समिति

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के कार्य के संबंध में समिति अपने उपविधि (बॉयलाज) के अंतर्गत निर्णय ले सकती है । साथ ही समिति को देखना है कि अभिकरण के कार्यक्रमों के बाबत शासन/मत्स्योद्योग विभाग द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के तहत कार्य हो रहा है या नहीं । अभिकरण की कार्य की प्रगति पर समिति को नजर रखना है ।

समिति की बैठक प्रत्येक त्रैमास में एक बार या आवश्यकता पड़ने पर पहले भी आमंत्रित की जा सकती है ।

18.1 लोक प्राधिकरण से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर

18.2 सूचना प्राप्त करने के संबंध में

- ❖ आवेदन पत्र :– लिखित मे देना होगा, सहायक सूचना अधिकारी आवश्यकता होने पर सहयोग करेगें ।
- ❖ शुल्क :– 10.00 रूपये
- ❖ सूचना आवेदन पत्र पर किस तरह से माँगी जाए– चाही गई जानकारी का विवरण
- ❖ सूचना न देने व अपील करने के संबंध में नागरिक के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया :– प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास

18.3 लोक प्राधिकरण द्वारा जनता को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में ।

- ❖ प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम व विवरण :– मछली पालन
- ❖ प्रशिक्षण कार्यक्रम /योजना के प्रभावी रहने की समय सीमाः–10 दिन
- ❖ प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्‌देश्य :– मत्स्य पालन का तकनीकी ज्ञान
- ❖ प्रशिक्षण कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य :– 80/0.88 लाख
- ❖ दिए जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो) :– मैन्युअल 13 के अनुसार
- ❖ अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया :– मैन्युअल 13 के अनुसार
- ❖ आवेदन करने के लिए कहां /किससे संपर्क करें :– कार्यालय से
- ❖ आवेदन शुल्क (यदि हो तो):– निशुल्क
- ❖ अन्य शुल्क (जहां उचित हो):– निरंक
- ❖ आवेदन पत्र का प्रारूप :– प्रारूप निर्धारित है ।
- ❖ संलग्नकों का प्रारूप :– समिति का ठहराव प्रस्ताव एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट

- आवेदन करने की प्रक्रियाः– पात्रता के आधार पर
- चयन प्रकिया :– पात्रता के अनुसार

18.4 लोक प्राधिकरण द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि के संबंध में जो की मैनुअल 13 में न सम्मिलित हो

- प्रमाण पत्र अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि का नाव व विवरण :– निरंक

18.5 लोक प्राधिकरण में होने वाले पंजीयन के संबंध में

पंजीयन का उद्देश्य :– पंजीयन का प्रावधान नही है ।

18.6 लोक प्राधिकरण द्वारा टेक्स लेने के संबंध में

- टेक्स का नाम व विवरण :– निरंक

18.7 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली बिजली/पानी के कनेक्शन, कनेक्शन को अस्थायी/स्थायी रूप से विच्छेदन, आदि के संबंध में (यह सूचना स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका/नगर परिषद/यूपीसीए द्वारा दी जा सकती है ।) :– निरंक

18.8 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली अन्य सेवाओं का विवरण :– निरंक